(12)

# न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

**पीठासीन अधिकारी** :– डा0 रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.
सप्लाई अपील प्रकरण सं.– 08/2018

| **अपीलार्थी** | बनाम | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| 1–पुखराज शर्मा पुत्र प्रतापराम<br>जाति ब्राह्मण निवासी बोरावास,<br>पोस्ट बनाड़ जिला जोधपुर। | | 1– जिला रसद अधिकारी,<br>जोधपुर शहर, जोधपुर। |

**अपील अन्तर्गत क्लॉज 22(1)(ए), राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय ) आदेश, 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.03.2017 एवं 14.03.2018 जो जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।**

– – –

**उपस्थिति** :–

**दिनांक 16.07.2018**

**1– श्री माणकलाल चण्डक अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)**
**2– विभागीय प्रतिनिधि (प्रत्यर्थीपक्ष)**

## आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर ने दिनांक 22.02.2017 को राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण अखबार में "**गरीबों का गेहूं कर रहे हजम**" शीर्षक की खबर के आधार पर अपीलार्थीपक्ष के विरूद्ध दिनांक 28.02.2017 को नोटिस जारी करने का आदेश दिया तथा सुनवाई की तारीख 04.05.2017 मुकर्रर की गई परन्तु बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त अखबार की खबर पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.03.2017 को निलम्बित कर दिया। दिनांक 29.06.2017 को जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किये हुए 90 दिन से अधिक समय हो चुका है अतः अब निलम्बित रखना गैर कानूनी है फिर भी प्रत्यर्थीपक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा जबाब पेश करने को कहा। दिनांक 08.09.17 को जबाब प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात् दिनांक 14.03.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त कर जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2018 को जारी करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमों दिनांक 10.04.2018 को प्रस्तुत हुआ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। प्रत्यर्थीपक्ष का नोटिस पेशी तारीख 07.05.2018 बाद तामील लौटा। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 09.07.2018 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(रा.)

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के पास प्राधिकार पत्र करीब 31 वर्ष से अधिक समय से है। दिनांक 22.02.2017 को राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण में "**गरीबों का गेहूं कर रहे हजम**" शीर्षक

लगातार.....

Scanned with CamScanner

के साथ छपी खबर के आधार पर जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर ने अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया तथा दिनांक 04.05.2017 पेशी मुकर्र की गई परन्तु अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मात्र अखबार की खबर पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.03.2017 को निलम्बित कर दिया। अपीलार्थी को नियत तारीख के पश्चात् नोटिस मिला जिस पर अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ फिर भी उसको सुना नहीं गया, न दस्तावेज दिखवाये गये। बहस में आगे बतलाया कि दिनांक 29.06.2017 को एक प्रार्थना–पत्र जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर के समक्ष पेश करते हुए उनसे इस्तदुआ की गई कि प्राधिकार पत्र निलम्बित किये हुए 90 दिन से अधिक समय हो चुका है तथा विधि में 90 दिन से अधिक समय के पश्चात् निलम्बित रखने का प्रावधान नहीं है। इसके उपरान्त भी प्रत्यर्थीपक्ष ने नहीं सुना, न प्राधिकार पत्र बहाल किया। दिनांक 08.09.2017 को जबाब पेश किया गया परन्तु जबाब से संतुष्ट न होकर और पुनः जबाब पेश करने को कहा। बहस में यह भी कहा कि दिनांक 14.03.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की तथा उसी दिन प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश पारित कर दिया गया। प्रथम तो प्रवर्तन निरीक्षक क्लॉज ई(2) में प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, द्वितीयत् प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट पेश की उसमें खाद्यान का वितरण में कोई अनियमिता नहीं पाई गई तथा सब कुछ उचित पाया। मात्र केरोसीन Non-authorised के वितरण के बारे कहा गया है, परन्तु जब केरोसीन वितरण की सारी स्थिति स्पष्ट है तो Non-authorised का तात्पर्य क्या हुआ, स्पष्ट नहीं किया गया।

बहस के निरन्तर में कहा कि प्राधिकार पत्र में वर्णित शर्त संख्या 4 एवं 17ग का उल्लंघन होना कहा गया, ऐसा आरोप का उल्लेख नोटिस में नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा 384.5 लीटर केरोसीन का वितरण विधिनुसार ही किया था क्योंकि पोश मशीन आने के पश्चात् अपीलार्थी किसी भी राशन कार्ड धारक को उसकी सीमा के अनुसार वितरण कर सकता है अतः अपीलार्थीपक्ष द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी या उसके किसी भी अधिकारी ने अपीलार्थी के दूकान का निरीक्षण नहीं किया गया। अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्राधिकार पत्र बहाल करने की इस्तदुआ की। अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 15793/2017 निर्णय दिनांक 03.04.2018, 2018(2) R.Cr.D.(Raj) पेज–138, 2004(2) R.Cr.D.(Raj) पेज–454 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने विभाग की ओर से की गई कार्यवाही को विधि सम्मतः बताते हुए अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अध्ययन किया। मूल अभिलेख का अध्ययन करने से अपीलार्थी के इन कथनों की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मात्र जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर ने दिनांक 22.02.2017 को राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण अखबार की खबर "**गरीबों का गेहूं कर रहे हजम**" शीर्षक के आधार पर दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश तथा सुनवाई की तारीख 04.05.2017 मुकर्र की गई, परन्तु जिला रसद अधिकारी प्रथम या उसके किसी अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा की गई अनियमितता की कोई जांच नहीं कर दिनांक 07.03.2017 को अपीलार्थी को जारी उचित मूल्य दूकान का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी प्रथम द्वारा दिनांक 04.05.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उसमें क्या अनियमिता की गई, का कई स्पष्ट नहीं किया गया

Scanned with CamScanner

(14)

अतः प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थीपक्ष का कृत्य विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करना पाया गया। प्रत्यर्थीपक्ष ने प्राधिकार पत्र निलम्बित करने का इकतरफा आदेश 07.03.2017 को जारी करने के पश्चात् भी करीब एक वर्ष तक उक्त उचित मूल्य दूकान के वितरण व्यवस्था की जांच नहीं की तथा दिनांक 14.03.2018 में प्रवर्तन निरीक्षक की जांच कराई गई तथा जांच रिपोर्ट में खाद्यान/गेहूँ का वितरण पोस मशीन के माध्यम से किया जाना एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी प्रकार का वितरण नहीं होना बताया गया। मात्र जांच बिन्दु–4 "विक्रेता द्वारा किए गए केरोसीन के Non-authorised वितरण की copy साथ में संलग्न है। Quantity 384.5 Lit. dated 14-03-18 " के आधार पर अनुज्ञापत्र निरस्त करने की गई जिस बाबत् भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर/नोटिस नहीं दिया गया अतः अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा विभागीय कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लघंन करते हुए की गई, जो हस्तक्षेप योग्य है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2017 एवं 14.03.2018 निरस्त किये जाते है। प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विभागीय नियमों के अधीन जांच कर व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः विधिसम्मतः निस्तारण करे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Scanned with CamScanner